

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:सं.27(3)(2)पदो/अभि/22 **जयपुर,दिनांक :-**
आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी की वर्ष 2022-23 से 2024-25 की विभागीय पदोन्नति समिति कार्यवाही का पुनर्विलोकन(Review) करने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर निम्न अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को प्रशासनिक अधिकारी (Pay Matrix L-12) के पद पर वर्ष 2022-23 की रिक्तियों के प्रति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

क्र0स0	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया
1.	श्री भवानी शंकर शर्मा	UR	01-04-2022

- उपरोक्त के अतिरिक्त रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर श्री शिवप्रकाश छीपा का चयन प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2023-24 से निरस्त कर, इनका चयन प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2024-25 में रिक्ति की दिनांक 01.04.2024 के विरुद्ध किया जाता है इसी प्रकार रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर श्री अजय कुमार शर्मा का चयन वर्ष 2024-25 में प्रशासनिक अधिकारी के पद से निरस्त किया जाता है। चयन व निरस्ती से वर्ष 2024-25 में पूर्व चयनित अधिकारी की रिक्ति का पुननिर्धारण भी निम्नानुसार किया जाता है।

क्रं.सं.	नाम अधिकारी	पूर्व आंवटित रिक्ति	संशोधित नयी रिक्ति
1.	श्रीमती रक्षा शकीत	01.04.2024	01.08.2024

- उपरोक्त चयनित अधिकारी रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र है पदोन्नति के वास्तविक लाभ पदस्थापन आदेश जारी होने के पश्चात कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे। पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जायेंगे।

(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निजी सचिव,निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
- अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभियोजन) ,अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
- संयुक्त निदेशक अभियोजन जयपुर प्रथम/उदयपुर ।
- उप निदेशक अभियोजन, जयपुर प्रथम/चित्तौडगढ़।
- संस्थापन शाखा मंत्रालयिक वरिष्ठ अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
- सम्बन्धित अधिकारी.....द्वारा:-कार्यालयध्यक्ष ।
- रक्षित पत्रावली ।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

